

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1978/श्रावण 25, 1900
No. 239] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1978/SRAVANA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1978

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 412(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप धारा (3) के खण्ड (क) के, उपखण्ड, (1) के अनुसरण में भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 149-सीमा शुल्क (सा० का० नि० सं० 392) तारीख 31 जुलाई, 1978 द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं० 130 सीमा शुल्क (सा० का० नि०) सं० 352 (अ), तारीख 1 जुलाई, 1978 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधि-

सूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं० 14 और उससे संबंध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
14	पाँड स्टर्लिंग	6.3190

[सं० 162 सी० शु० फा० सं० 503/5/78-सी० शु०-6)]

ए० बॉर्डिया, अधीक्षक सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 412(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 130-Cus. [G.S.R. 352(E)] dated the 1st July, 1978, as amended by Notification No. 149-Cus. [G.S.R. No. 392(E)] dated the 31st July 1978, namely :—

In the Schedule below the said notification,—

For Serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
41	Pound Sterling	6.3190

[No. 162-Cus./F. No. 503/5/78-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.